न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री शिवप्रकाश एम.नकाते आई.ए.एस.

निगरानी संख्या 06/2013

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
नखताराम उर्फ नखतीया पुत्र पताराम जाति गुरडा निवासी शिव तहसील,शिव		1.दया पत्नि गाजीराम के कायम मुकाम– 1/1.चूनी देवी पुत्री दया पत्नि पुराराम जाति गुरडा निवासी सियाणी तहसील,रामसर 1/2.मीरा देवी पुत्री दया पत्नि तनसुखराम जाति गुरडा निवासी जयसिंधर तहसील,गडरारोड 1/3.धापूदेवी पुत्री दया पत्नि लीलाधर जाति गुरडा निवासी जैसलमेर 1/4.केकू देवी पुत्री दया पत्नि हरीकिशन जाति गुरडा निवासी जैसलमेर निवासी जैसलमेर 2.ग्राम पंचायत शिव जरिये सरपंच ग्राम पंचायत शिव

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 विरूद्ध निरस्त करने पट्टा संख्या 48 दिनांक 06.06.2012 जो ग्राम पंचायत शिव द्वारा अप्रार्थीनी दया के नाम जारी किया गया।

उपस्थितः– 1. श्री जेठमल जैन अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री सुनील के.मेराजा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/4 की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 02 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 15.11.2017

1. संक्षेप में प्रार्थी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीनी संख्या 01 दया पत्नि गाजीराम ने एक आवेदन पत्र सरपंच ग्राम पंचायत शिव के समक्ष इस आशय का पेश किया कि ग्राम शिव की आबादी भूमि में उसका कब्जा सुदा पैतृक आवासीय भूमि 3600 वर्ग फीट की आयी हुई है। जिसका विक्रय विलेख पट्टा प्रदान कराया जावे। इस पर ग्राम पंचायत शिव ने पत्रावली कायम कर अप्रार्थीनी दया पत्नि गाजीराम के नाम नियम 157(ख) के तहत संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.05.2012 के अनुसरण में पट्टा संख्या 48 दिनांक 06.06.2012 को जारी कर किया। प्रार्थी का यह कथन है कि अप्रार्थीनी संख्या 01 ने प्रार्थी के पट्टा वाली भूमि में प्रार्थी के पुत्र की कुछ भूमि पर अनाधिकृत तौर पर कब्जा कर

जिला कलक्टर
बाडमेर

अपने पक्ष में 90X40 वर्ग फीट भूमि का गलत रूप से पट्टा जारी करवाया है।ग्राम पंचायत ने अप्रार्थीनी को कानूनी प्रकिया का पालन किये बिना पट्टा जारी किया है। इस पट्टा विलेख को अपने स्वामित्व एंव आधिपत्य एंव नियम विरूद्ध जारी होना बताते हुए प्रार्थी ने यह धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत हमारे समक्ष पेश की।

2. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये एंव ग्राम पंचायत शिव से पट्टा से सम्बन्धित रिकॉर्ड तलब किया।

3. अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील के.मेरोजा उपस्थित हुए जिन्हें जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं किया,फलस्वरूप अप्रार्थीगण का जवाब बन्द किया गया।

4. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। प्रार्थी के अधिवक्ता ने लिखित बहस भी पेश की। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अप्रार्थी संख्या 02 ने तत्कालीन सरपंच से सांठ–गाठ कर ग्राम पंचायत शिव से मिलावट कर प्रार्थी के कब्जा सुदा भूमि पर कानून व नियमो को ताक में रखकर नियम 157(ख)का उल्लंघन कर गलत पट्टा जारी करवाया है। अप्रार्थीनी संख्या 01 ने प्रार्थी के पुत्र की भूमि पर अनाधिकृत तौर पर कब्जा कर अपने पक्ष में 90X40 वर्ग फीट का पट्टा जारी करवा दिया। अप्रार्थीनी के कब्जा करने के कारण प्रार्थी को अपने पुत्र के साथ निवास करना पड़ रहा है। इस भूमि में 90X40 वर्ग फीट की भूमि में प्रार्थी के पट्टे की पुरी भूमि एंव शेष भूमि प्रार्थी के पुत्र नेनाराम की भूमि भी सम्मिलित की गई है। कानूनी की मंशा अनुसार मकान के कब्जे को नियमित करने से पूर्व जॉच कर कब्जाधारी का मौके पर 50 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा को नियमित करने का प्रावधान है,जबकि अप्रार्थीनी संख्या 01 दया का कब्जा नहीं रहा है,बल्कि अप्रार्थीनी अतिकमी थी उसके द्वारा दिनांक 10.05.2012 को प्रार्थी की अनुपस्थिति में विवादित भूखण्ड पर अनाधिंकृत तौर पर अतिकमण किया गया जो पूर्णतया अवैधानिक था। इस सम्बन्ध में प्रार्थी ने एक अपराधिक प्रकरण सरपंच देरावरसिंह,मदनलाल ग्राम सेवक व दया देवी के विरूद्ध पुलिस थाना शिव में दर्ज करवाया मगर पुलिस थाना शिव ने अप्रार्थीनी दया तत्कालीन सरपंच व ग्राम सेवक ने मिली भगत करके इस मामले में एफ.आर. दिलवा दी। परन्तु न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट,बाड़मेर द्वारा एफ.आर.अस्वीकार कर दी। पट्टा वाली भूमि में प्रार्थी के कुण्ड,ईटों का कमरा,व पशुओ का बाड़ा,आवास व झोफा आदि बने हुए है। निजी आवास निर्माण योजना के अन्तर्गत प्रार्थी को कमरे आदि बनाने के लिये पन्दह्न हजार की सहायता राशि स्वीकृत हुई थी। इस राशि से नखताराम के आज भी दो कमरे,एक रसोइ घर व बरामदा पट्टे वाली भूमि के अन्दर उतर पूर्व दिशा में बने हुए है। उसमें प्रार्थी को परिवार का निवास चला आ रहा है। उन्होने तर्क दिया कि अप्रार्थीनी संख्या 01 ने

जिला कलेक्टर
बाड़मेर

किस तारीख को आवेदन किया,तारीख अंकित नहीं है।आवेदन पत्र में प्रार्थी का अंगुष्ठ निशान नहीं है,केवल स्याही का धब्बा बना दिया गया है। अप्रार्थीनी संख्या 01 के भूखण्ड का मौका निरीक्षण कमेटी द्वारा भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है ग्राम पंचायत द्वारा जो आक्षेप आमंत्रित करने का जो नोटिस जारी किया गया है, वह बिना तारीख का है। उन्होने तर्क दिया कि नियम 157(ख) के तहत पुराने निवास गृहों का विनियमितीकरण करते हुए 50 वर्ष से अधिक पुराने निवास गृहों के कब्जों का नियमन करने का प्रावधान है, जबकि विवादित भूखण्ड अप्राथीर्नी संख्या 01 का दर्शित नाप व पड़ौस का 50 वर्ष से अधिक पुराना कब्जा नहीं रहा है। ग्राम पंचायत की कार्यवाही में दिनांक 20.03.2012 में कुल क्रम संख्या 22 बताई गई है, परन्तु इसमें 29 व्यक्तियों के नाम लिखे गये है। कांछ–छांट करके क्रम संख्या 01 व 02 के बीच में अप्रार्थीनी दया का नाम जोड़ा गया है। पंचायत की बैठक में कोरम पुरा नहीं होने के उपरान्त पट्टा जारी किया गया है। पारित प्रस्ताव की पालना में दिनांक 06.06.12 को पट्टा जारी करना बताया है जिस पर हस्ताक्षर ग्राम सेवक मदनलाल ने किये है जबकि ग्राम सेवक मदनलाल की जगह ग्राम सेवक तनदान ने बैठक में भाग लिया है। सारी कार्यवाही फर्जी करके पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थीनी द्वारा इस भूखण्ड के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय बाड़मेर के न्यायालय में दीवानी वाद संख्या 17/14 चूनी देवी बनाम नखताराम पेश किया गया है जिसमें स्थगन आदेश भी है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने आरआरटी 2003(1)परी 136,डीएनजे 2015 राज. पेज 443 के कानूनी दृष्टांत पेश करते हुए अप्रार्थीनी संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 48 दिनांक 06.06.2012 फर्जी, झूठा एंव नियम विरूद्ध होने से निरस्त करने का निवेदन किया।

5. अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अप्रार्थीनी को जो पट्टा जारी किया गया है वह अप्रार्थी के पुराने कब्जे की भूमि है। विवादित प्लोट अप्रार्थीनी का पैतृक रहवासीय मकान है अप्रार्थी संख्या 01 ने भूखण्ड का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत शिव के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिस पर ग्राम पंचायत ने पत्रावली कायम कर, तीन पंचो की कमेटी कर, मौका रिपोर्ट प्राप्त की है। नोटिस जारी किया गया है इसके पश्चात आपतियां आमंत्रित की गयी है। सारी कार्यवाही नियमानुसार करने के पश्चात् अप्रार्थीनी संख्या 01 के पक्ष में नियम 157(ख) के तहत पट्टा जारी किया गया है।ग्राम पंचायत शिव ने पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में बनाये गये नियमो की पालना करके नियम 157(ख) के तहत पुराने कब्जे के आधार पर बाद जॉच पट्टा जारी किया गया है। इसमें कोई अनियिमतता नहीं की गई है। अप्रार्थीनी दयादेवी के नाम जारी पट्टा उप पंजीयक कार्यालय शिव में दिनांक 07.01.2013 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 131 में पृष्ठ संख्या 157 कम संख्या 2013000019 पर पंजिबद्ध हैं पंजीबद्ध पट्टे को सिविल न्यायालय ही खारिज कर सकता है। उन्होने तर्क दिया कि विवादित प्लोट पर स्व.

जिला कलेक्टर

दयादेवी द्वारा अपने कच्चे आवास के पास राज्य सरकार द्वारा देय इन्दिरा आवास का निर्माण करवाया गया है वर्तमान में परिसर में इन्द्रा आवास,सहित एक कुड,एक झुप्प व एक कमरे हेतु सीमेंट की ईटो की दीवार बनाई हुई है। विवादित प्लोट के उतर दिशा में हड़ुमानराम के मकान की तरफ दयादेवी द्वारा पक्की दीवार का निर्माण कर रखा है एंव पश्चिम दिशा में कच्ची मिट्टी की दीवार है साथ ही नखताराम की तरफ 20 फीट तक कच्ची दीवार एंव उसके आगे नखताराम का एक ओरा है विवादित परिसर के पूर्व में पुरानी बाड़ बनी हुई जिसके आस पास बबूल की झाड़िया बनी हुई है। उन्होंने तर्क दिया कि अप्रार्थीनी दया देवी का स्वर्गवास हो चुका है। अप्रार्थीनी संख्या 1/1 से 1/4 दयादेवी की जायंदा पुत्रीयां है जो दया देवी की प्रथम वारिशान है प्रार्थी ने अप्रार्थीनी के भूखण्ड मे तोड़ फोड कर सामान हटाने की वारदा एंव झगड़ा करने पर प्रार्थी के विरूद्ध पुलिस थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। प्रार्थी,अप्रार्थी की भूमि को हड़पना चाहता हैं। इसलिये प्रार्थी की निगरानी गलत तथ्यों पर आधारित होने एंव ग्राम पंचायत शिव द्वारा अप्राथीनी दयादेवी को जारी पट्टा सही बताते हुए निगरानी खारिज करने का निवेदन किया।

6. हमने दोनो पक्षों की बहस पर मनन किया। ग्राम पंचायत शिव से प्राप्त रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी का यह कथन कि अप्रार्थीनी संख्या 01 ने प्रार्थी के कब्जा सुदा पैतृक एंव पट्टा वाली भूमि में प्रार्थी के पुत्र की कुछ भूमि पर अनाधिकृत तौर पर कब्जा कर अपने पक्ष में 90X40 वर्ग फीट भूमि का गलत रूप से पट्टा जारी करवाया है। मगर इस कथन के सम्बन्ध में,उसका प्रमाण भार प्रार्थी पर था। प्रार्थी को यह साबित करना था कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी विक्रय विलेख की भूमि उसके स्वामित्व,आधिपत्य एंव विश्वसनीय है। मगर ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त निगरानी से सम्बन्धित यह विवाद दीवानी प्रकृति का है और इस सम्बन्ध में सिविल न्यायालय बाड़मेर के न्यायालय में पक्षकारान के मध्य दीवानी वाद संख्या 17/14 विचाराधीन होना बताया है। ऐसी स्थिति में इस बिन्दु के निर्धारण का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। प्रार्थी का यह कथन कि अप्रार्थीनी संख्या 01 के पक्ष मे जारी पट्टा ग्राम पंचायत ने नियम विरूद्ध तरीके से पट्टा जारी किया हैं। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि अप्रार्थीनी संख्या 01 ने अपने कब्जा सुदा पैतृक भूखण्ड का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत शिव के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया। सरपंच ने इस आवेदन को पंचायत की बैठक में रखने के आदेश दिये हैं। जिस पर मिसल कायम की गई है। मौका कमेटी से मौका रिपोर्ट मंगवाने के आदेश हुए है। तत्पश्चात् नियम 148 के तहत निर्धारित प्रारूप में एक माह का नोटिस जारी कर चस्पा कराया हैं नोटिस के

जिला कलक्टर
बाड़मेर

साया होने से आपतियां आमंत्रित की गई हैं। मगर किसी भी व्यक्ति ने इस सम्बन्ध में कोई आपति पेश नहीं की है। तत्पचात् प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05.05.2012 को नियम 157(1)(ख)के तहत पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया है। इन नियमो के परिपेक्ष्य में अप्रार्थीगण द्वारा पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व नक्शा में दर्शाये गये पड़ोस व नाप एंव रहवास के अनुरूप ग्राम पंचायत ने अप्रार्थीनी संख्या 01 को दिनांक 06.06.2012 को पट्टा संख्या 48 पट्टा जारी किया है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकार्ड से हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है कि ग्राम पंचायत शिव ने निर्धारित प्रकिया अपनाकर,नियमों में अंकित प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए अप्रार्थीनी संख्या 01 दया के पक्ष में नियम 157(1)(ख) के तहत आवासीय भूमि का पट्टा संख्या 48 दिनांक 06.06.2012 जारी किया है। जिसमें कोई अनियमितता एंव त्रुटि प्रतीत नहीं हुई है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थीनी संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टा विलेख पर विक्रय पत्र का निष्पादन कर उपपंजीयन कार्यालय शिव में पंजीयन करवा दिया है जिससे अप्रार्थीनी का इस पट्टा की भूमि पर स्वामित्व हासिल हो चुका हैं। ऐसी स्थिति में इस पट्टा विलेख को खारिज करने हेतु कोई ठोस आधार नही हैं। प्रार्थी पक्ष निगरानी को साबित करने में असमर्थ रहा हैं।

7. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी की निगरानी बलहीन एंव सारहीन होने से खारिज की जाती हैं।

(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 15.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर